

संविधान, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector New Tehri

No 3761/XXVI-14024576

Dated 29/9/2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance Of The Ministry Of Environment And Forests (MOEF), Government Of India's Letter No 11-9/98-FC(Pt) Dated 3rd August 2009 Wherein The Moef Issued Guidelines On Submission Of Evidences For Having Initiated And Completed The Process Of Settlement Of Rights Under The Scheduled Tribes And Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', For Short) On The Forest Land Proposed To Be Diverted For Non-Forest Purposes Read With Moef's Letter Dated 5th February 2013 Wherein Moef Issued Certain Relaxation In Respect Of Linear Projects, It Is Certified That 5.1415 Hectares Of Forest Land Proposed To Be Diverted In Favour Of Irr Div-2 PMGSY, New Tehri For The Construction of Marora-Banali M/Road to Kund (8.125 Km) In Tehri District Falls Within Jurisdiction Of Kund Gaon Village In ~~Dhriti~~ Tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.1415 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it; \
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: - As above.

(इन्दु बौड़ाई)
जिला अधिकारी
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II
(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector New Tehri

No 3761/XXVI-14024576

Dated 29/9/2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 5.1415 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Irr Div-2 PMGSY, New Tehri for the Construction of Marora-Banali M/Road to Kund (8.125 Km) in New Tehri district falls within jurisdiction of Kund Gaon village in Manoli Tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.1415 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of KUND villages(s) is enclosed as annexure.....To annexure.....
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl :- As above.

(इन्दुवर बौझई)
जिला अधिकारी
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A Meeting Of The District Level Committee Of DEHRADUN District, Constituted Under FRA. 2006 Was Held Under The Chairmanship Of Mr. ~~Indu Prakash~~ ^{Indu Prakash} I.A.S District Magistrate, New Terhi On Dated 29/9/16. At Time 11:30 AM At New Terhi In Which Application Claiming Rights In Measuring 5.1415 Area Hect For The Construction Km 3 of Marora-Banali M/Road to Kund Motor Road Forest Land Under FRA. 2006 Of The Following Applicant Duly Processed And Recommended By The Sub Division Level Committee Of New Tehri Sub Division Were Discussed To Consider The Same For Admission By The District Level Committee.

After Scrutiny Of The Documents And Detailed Discussions, No Objection/Claims Were Found To Have Been Made & Hence District Level Committees Recommend The Above Case For Diversion Of Land For The Said Purpose.

Place:.. NEW TEHRI

Dated:.. 29/9/2016


(इन्दुधर बौड्ढाई)
जिला अधिकारी
Deputy Commissioner, District Dehradun, Chairman
District Level Committee

It is further certified that Minutes of Meeting of Marora Banali Motor Road Km. 3.00 to Kund Motor Road (Length-8.125 Km.) regarding FRA is as following- (Meeting date ..29/9/2016...)

Sr.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.1415 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (S) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure ...29:2.....	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed b the Government as required under section 3 (2) of the FRA, have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.


जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल


जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
मोहनपुर, टिहरी गढ़वाल


प्रमुखी वन अधिकारी
मसूरी मसूरी, मसूरी


(इन्दुधर बौझाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
Signature

(Full name and official seal District Collector)

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

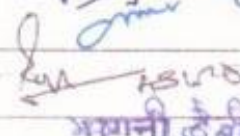
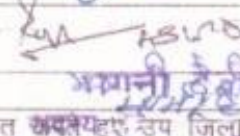
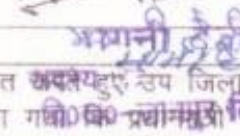
कार्यालय उप जिलाधिकारी, धनोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ~~धनोली~~

उपखण्ड जौनपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नईटिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमालड़ा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से रगडगाव (4.2525 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.5740 हे० सिविल एव सोयम 0.3150 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 5.1415 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून) की दिनांक 29.03.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~धनोली~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री लक्ष्मीशम चौधरी उपजिलाधिकारी धनोली	अध्यक्ष	
श्री केशवीर वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
श्री शरद सिन्हा सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	
श्री प्रदीप कुमार बी०डी०सी०	सदस्य	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत ~~अवगत~~ उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ~~प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना~~ के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड मोटर मार्ग परियोजना हेतु 5.1415 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 5.1415 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी
धनोली

टिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील-

जनपद-

~~धनोली~~

टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुण्ड
घनोल्टी देहरादून, जिला टिहरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से बनाली 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (4.2525 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.5740 हे० सिविल एवं सोयम, 0.3150 हे० वन पंचायत भूमि 0.7020 हे० नाप भूमि अर्थात् कुल 5.1415 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुण्ड द्वारा दिनांक 28/12/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौरा-गोल्थी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत कुण्ड
ग्राम पंचायत मुहर सहित
वि० घ० जिला-टिहरी

अमनी देवी
मुख्य
जिला-जौनपुर टिहरी

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुण्ड
धनोल्ती देहरादून, जिला टिहरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा जल्दी 10/12/2008 से कुण्ड मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (4.2525 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.5740 हे० सिविल एवं सोयम, 0.3150 हे० वन पंचायत भूमि, 0.7020 हे० नाप भूमि अर्थात् कुल 5.1415 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुण्ड द्वारा दिनांक 23-12-2008 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौरा-गोल्थी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कुण्ड
मुख्य अधिकारी
वि० ख० धनोल्ती देहरादून जिला-टिहरी

नगनी देवी
पारस क्षेत्र पं० रिगलगा
वि० ख० टिहरी

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुख्य अधिकारी



दिनांक 23-12-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुण्ड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	खुरेन्द्र सिंह सेन्डी	खुरेन्द्र सिंह
2	देवेन्द्र सिंह कोठारी	देवेन्द्र सिंह
3	सतेन्द्र सिंह सेन्डी	सतेन्द्र सिंह
4	धन सिंह कोठारी	धन सिंह
5	सुरेश सिंह कोठारी	
6	राजेन्द्र सिंह कोठारी	राजेन्द्र सिंह
7	राजेन्द्र सिंह कोठारी	
8	खुरेन्द्र सिंह सेन्डी	खुरेन्द्र सिंह
9	सोहन सिंह	
10	कंवर सिंह सेन्डी	कंवर
11	जंवर सिंह कोठारी	जंवर
12	सोहन सिंह सेन्डी	सोहन
13	चन्दन सिंह सेन्डी	
14	वीर सिंह सेन्डी	वीर सिंह
15	अहेन्द्र सिंह सेन्डी	
16	प्रेम सिंह सेन्डी	प्रेम सिंह
17	चन्दन सिंह कोठारी	चन्दन
18	जय सिंह सेन्डी	जय सिंह

ग्राम प्रधान



दिनांक 23-12-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुण्ड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रणवीर सिंह	रणवीर सिंह
2	चमकी देवी	चमकी
3	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
4	जैपन्त सिंह	जैपन्त सिंह
5	मजीत सिंह कोठारी	मनजीत सिंह
6	जय सिंह	जय सिंह
7	जोकिन्द सिंह	जोकिन्द सिंह
8	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
9	पुलाय सिंह	पुलाय सिंह
10	सुरेन्द्र सिंह सेन्डी	Surender Singh
11	विक्रम सिंह कोठारी	Vikram Singh
12	विरेंद्र सिंह कोठारी	Virender Singh
13	श्याम सिंह	श्याम सिंह
14	पचन सिंह भन्वानी	Pachan Singh
15	जीत सिंह भन्वानी	जीत सिंह
16	रणवीर सिंह सैन्डी	Ranveer Singh
17	जयपाल सिंह सैन्डी	Jaypal Singh
18	सरोज सिंह कोठारी	सरोज सिंह

ग्राम प्रधान



दिनांक 23-12-24 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुण्ड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जय सिंह सेहड़ा	जय सिंह
2	जगदीश सेहड़ा	जगदीश सिंह
3	गजेन्द्र सिंह सेहड़ा	गजेन्द्र सिंह
4	नरैन्द्र सिंह सेहड़ा	Narain Singh
5	बिजेन्द्र सिंह सेहड़ा	Bijendra Singh
6	हरिश सिंह सेहड़ा	Harish Singh
7	शैला देवी	शैला
8	पुरुषा देवी	पुरुषा
9	विजना देवी	विजना
10	शान देई	शान
11	शोवनी देवी	शोवनी
12	मुन्नी देवी	मुन्नी
13	रोशनी देवी	रोशनी
14	बसन्ती देवी	बसन्ती देवी
15	सरिता देवी	सरिता
16	मगनी देवी	मगनी
17	बचनी देवी	बचनी
18	हंस देई	हंस देई

ग्राम प्रधान



दिनांक 27/12-2015

को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुण्ड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुमन देवी	सुमन देवी
2	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी
3	उर्मिला देवी	उर्मिला
4	सुशीला देवी	सुशीला
5	अमिता देवी	अमिता
6	काजल देवी	काजल
7	सविता देवी	सविता
8	चमकी देवी	चमकी
9	राय सिंह	राय सिंह
10	योगेन्द्र सिंह	योगेन्द्र
11	जसवन्त सिंह	जसवन्त
12	सोहन सिंह	सोहन सिंह
13	औतार सिंह	औतार सिंह
14	वीर सिंह	वीर सिंह
15	फाग सिंह	फाग सिंह
16	वीर सिंह	वीर
17	राजपाल सिंह	राजपाल
18	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र

ग्राम प्रधान

जोताड़ी

दिनांक 23-12-2013 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुण्ड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रमोद सिंह	प्रमोद सिंह
2	दयाल सिंह	दयाल
3	दिनेश सिंह	दिनेश
4	सुवीन सिंह	सुवीन
5	उदय सिंह	उदय सिंह
6	राजेंद्र सिंह	राजेंद्र सिंह
7	राम सिंह	राम सिंह
8	पंचम सिंह	पंचम सिंह
9	देवेन्द्र सिंह	देवेन्द्र सिंह
10	चमन सिंह	चमन सिंह
11	विलेन्द्र सिंह	विलेन्द्र सिंह
12	जयर सिंह	जयर सिंह
13	आर्षाद सिंह	आर्षाद सिंह
14	भगवान सिंह	भगवान सिंह
15	शमन सिंह	शमन सिंह
16	खरन सिंह	खरन सिंह
17	मदन सिंह	मदन सिंह
18	बिमल सिंह	बिमल सिंह

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुण्ड
धनोल्ती देहरादून, जिला टिहरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से बनाली km:3 से कुण्ड मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (4.2525 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.5740 हे० सिविल एवं सोयम, 0.3150 हे० वन पंचायत भूमि, 0.7020 हे० नाप भूमि अर्थात् कुल 5.1415 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुण्ड द्वारा दिनांक 23/12/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौरा-गोल्थी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विभाग अधिकारी
ग्राम पंचायत, मुहर सहित
वि० ख० जिला-टि०

मगनी देवी
हृदय
वि० ख०-जौनपुर टि०

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

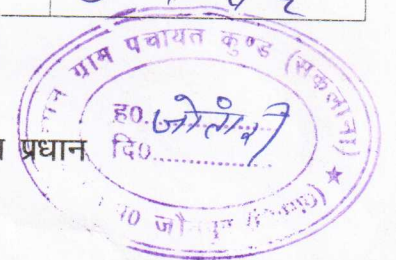


दिनांक 23-12-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुण्ड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेन्द्र सिंह सेन्धी	सुरेन्द्र सिंह
2	देवेन्द्र सिंह कोठारी	देवेन्द्र सिंह
3	सतेन्द्र सिंह सेन्धी	सतेन्द्र सिंह
4	धन सिंह कोठारी	धन सिंह
5	सुरेश सिंह कोठारी	
6	राजेंद्र सिंह कोठारी	राजेंद्र सिंह
7	राजेंद्र सिंह कोठारी	
8	सुरेन्द्र सिंह कोठारी	सुरेन्द्र सिंह
9	सौवन सिंह	
10	कंवर सिंह सेन्धी	कंवर
11	जवर सिंह कोठारी	जवर
12	सौवन सिंह सेन्धी	सौवन
13	चन्दन सिंह सेन्धी	
14	वीर सिंह सेन्धी	वीर सिंह
15	महेन्द्र सिंह सेन्धी	
16	प्रेम सिंह सेन्धी	प्रेम सिंह
17	चन्दन सिंह कोठारी	
18	जय सिंह सेन्धी	जय सिंह

ग्राम प्रधान



दिनांक 23-12-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुण्ड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रणवीर सिंह	रणवीर सिंह
2	चमकी देवी	चमकी
3	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
4	जैपन्द सिंह	जैपन्द सिंह
5	मजीत सिंह कोठारी	मनजीत सिंह
6	जय सिंह	जय सिंह
7	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
8	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
9	पुलाय सिंह	पुलाय सिंह
10	सुरेन्द्र सिंह सेन्डी	Surender Singh
11	विक्रम सिंह कोठारी	Vikram Singh
12	विश्व सिंह कोठारी	Vishw Singh
13	श्याम सिंह	श्याम सिंह
14	पचन सिंह मन्थान	Pachan Singh
15	जीत सिंह मन्थान	जीत सिंह
16	रणवीर सिंह सैन्डी	Ranveer Singh
17	जयपाल सिंह सैन्डी	Jaypal Singh
18	सरोज सिंह कोठारी	सरोज सिंह

ग्राम प्रधान



दिनांक 23-12-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुण्ड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश सिंह सेठी	जगदीश
2	जगदीश सेठी	जगदीश सिंह
3	गजेन्द्र सिंह सेठी	गजेन्द्र सिंह
4	नरैन्द्र सिंह सेठी	Narain
5	बिजेन्द्र सिंह सेठी	Bijendra
6	हरिश सिंह सेठी	Harish
7	शैला देवी	शैला
8	पुष्पा देवी	पुष्पा
9	विजना देवी	विजना
10	शाम देई	शाम
11	शोवनी देवी	शोवनी
12	मुन्नी देवी	मुन्नी
13	शोशनी देवी	शोशनी
14	वसन्ती देवी	वसन्ती देवी
15	सरिता देवी	सरिता
16	मगनी देवी	मगनी
17	वचनी देवी	वचनी
18	हरं देई	हरं देई

ग्राम प्रधान

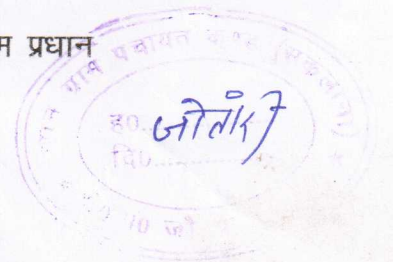


दिनांक 28/12-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुण्ड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुमन देवी	सुमन देवी
2	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी
3	उर्मिला देवी	उर्मिला
4	रुशीका देवी	रुशीका
5	अनिता देवी	अनिता
6	काजल देवी	काजल
7	सविता देवी	सविता
8	चमकी देवी	चमकी
9	राफ सिंह	राफ सिंह
10	योगेन्द्र सिंह	योगेन्द्र
11	जसवन्त सिंह	जसवन्त
12	सोहन सिंह	सोहन सिंह
13	उमेश सिंह	उमेश सिंह
14	दीप सिंह	दीप सिंह
15	फाग सिंह	फाग सिंह
16	वीर सिंह	वीर
17	राजपाल सिंह	राजपाल
18	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र

ग्राम प्रधान



दिनांक 23-12-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुण्ड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रमोद सिंह	प्रमोद सिंह
2	दयाल सिंह	दयाल
3	दिनेश सिंह	दिनेश
4	प्रवीन सिंह	प्रवीन
5	उदय सिंह	उदय सिंह
6	राजेंद्र सिंह	राजेंद्र सिंह
7	राम सिंह	राम सिंह
8	पंचम सिंह	पंचम सिंह
9	देवेन्द्र सिंह	देवेन्द्र सिंह
10	चमन सिंह	चमन सिंह
11	किलेन्द्र सिंह	किलेन्द्र सिंह
12	जयर सिंह	जयर सिंह
13	आर्षादा सिंह	आर्षादा सिंह
14	भगवान सिंह	भगवान सिंह
15	रतन सिंह	रतन सिंह
16	खुरत सिंह	खुरत सिंह
17	मदन सिंह	मदन सिंह
18	बिमल सिंह	बिमल सिंह



परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड मोटर मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में सर्वसहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मोटर मार्ग जनहित में अति आवश्यक है तथा मार्ग निर्माण में आने वाली समस्त भूमि को वर्तमान संकिल दरों पर ग्राम्य विकास विभाग को देने को सहमत है।

अतः मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।



ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...
दि० १८/३/२०१६ जिला-टिहरी

[Signature]

भगनी देवी

सदस्य
वि०ख०-जौनपुर १८०१०



ग्राम प्रधान की मोहर

[Signature]

[Signature]

[Signature]

जोविन्द सिंह

सोबन सिंह

चन्दन सिंह

कमल

विरेंद्र मोहरी उप प्रधान

जयन्त सिंह सेठी

[Signature]

वन सरपंच
वन पंचायत कुण्ड
सकलाना, टि० ग०

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम हवलाल गाँव (महियाँ गाँव)
धनोल्ती देहरादून, जिला टिहरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (4.2525 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.5740 हे० सिविल एवं सोयम, 0.3150 हे० वन पंचायत भूमि, 0.7020 हे० नाप भूमि अर्थात् कुल 5.1415 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत हवलाल गाँव महियाँ गाँव द्वारा दिनांक 5-5-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौरा-गोल्थी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रमाणित

5-5-2018

ग्राम सभा सचिव/स अधिकारी
क्षेत्र... मुहर सहित हवलाल गाँव महियाँ गाँव
वि० प्र० जौनपुर विभाग



प्रमाणित
वन पंचायत सचिव
हवलाल गाँव

दिनांक 5/5/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बड़वाल गाँव (भीड़ियाँ गाँव)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बचन सिंह ३० तारा सिंह	बचन सिंह
2	बिरेन्द्र सिंह ५० रणवीर सिंह	बिरेन्द्र सिंह
3	राय सिंह ५० तारा सिंह	राय सिंह
4	हरी सिंह ५० राम सिंह	हरी सिंह
5	सुनील सिंह ५० पदम सिंह	सुनील सिंह
6	महेन्द्र सिंह ३० प्रेम सिंह	महेन्द्र सिंह
7	जोगेन्द्र सिंह ५० तारा सिंह	जोगेन्द्र सिंह
8	रुद्रम सिंह ५० कालिदा सिंह	रुद्रम सिंह
9	बिरेन्द्र सिंह ५० रणवीर सिंह	बिरेन्द्र सिंह
10	सुरेन्द्र सिंह ५० प्ररुण सिंह	सुरेन्द्र सिंह
11	कन्दन सिंह ५० माहू सिंह	कन्दन सिंह
12	शोबन सिंह ५० श्याम सिंह	शोबन सिंह
13	चन्दन सिंह ५० रतन सिंह	चन्दन सिंह
14	जीत सिंह ५० तारा सिंह	जीत सिंह
15	रुभल सिंह ५० मौला सिंह	रुभल सिंह
16	रणवीर सिंह ५० रतन सिंह	रणवीर सिंह
17	सुरेन्द्र सिंह ५० प्रेम सिंह	सुरेन्द्र सिंह
18	बिजेन्द्र सिंह ५० हरेन्द्र सिंह	बिजेन्द्र सिंह

ग्राम प्रधान

दिनांक 5/5/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत हनुवाला गाँव (महियाँ गाँव)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कल्लोप सिंह S/O विजय सिंह	कल्लोप सिंह
2	मेहर सिंह S/O गोपाल सिंह	मेहर सिंह
3	पंचम सिंह S/O उत्तम सिंह	पंचम
4	हुकूम सिंह S/O भासीर सिंह	हुकूम सिंह
5	राजेन्द्र सिंह S/O रतन सिंह	राजेन्द्र सिंह
6	बीर सिंह S/O इल्तम सिंह	बीर सिंह
7	गुलाब सिंह S/O इल्तम सिंह	गुलाब सिंह
8	सुरवी सिंह S/O शेरा सिंह	सुरवी सिंह
9	प्रेम सिंह S/O भासीर सिंह	प्रेम सिंह
10	पंचम सिंह S/O गुलाब सिंह	पंचम सिंह
11	शोभन सिंह S/O रतन सिंह	शोभन सिंह
12	औतार सिंह S/O रतन सिंह	औतार सिंह
13	सोहन सिंह S/O बिष्णु	सोहन सिंह
14	सुरेन्द्र सिंह S/O गोपाल सिंह	सुरेन्द्र सिंह
15	विजेन्द्र सिंह S/O प्रेम सिंह	विजेन्द्र सिंह
16	दिनेश सिंह S/O धूमि सिंह	दिनेश सिंह
17	राजेन्द्र सिंह S/O फाग सिंह	राजेन्द्र सिंह
18	मदन सिंह S/O तारा सिंह	मदन सिंह

ग्राम प्रधान
दिनांक 5/5/2018

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ...धनोली...
धनोली देहरादून, जिला टिहरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (4.2525 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.5740 हे० सिविल एवं सोयम, 0.3150 हे० वन पंचायत भूमि, 0.7020 हे० नाप भूमि अर्थात् कुल 5.1415 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धनोली द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौरा-गोल्थी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[Signature]

[Signature] 27/04/18

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मुहर धनोली

विकास खण्ड...धनोली...टिहरी

[Signature]
सरपंच
वन पंचायत बनाली, चम्पा
टिहरी गढ़वाल



दिनांक २७/५/०८ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बनाली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मनोहर सिंह SIO इन्द्र सिंह	मनोहर सिंह
2	प्रेम सिंह SIO श्री चन्द बल्लू	प्रेम सिंह
3	राजेन्द्र सिंह SIO मोहन सिंह	Rajendra Singh
4	कुशल सिंह SIO इन्द्र सिंह	Kushal Singh
5	बुलाब सिंह SIO प्रेम सिंह	Bulab Singh
6	सुरत सिंह SIO अखिल सिंह	Surat Singh
7	अगवान सिंह SIO चैत सिंह	Agwan Singh
8	राजेन्द्र सिंह SIO प्रेम सिंह	Rajendra Singh
9	मदन सिंह SIO बचन सिंह	Madan Singh
10	बचन सिंह SIO भगवत सिंह	Bachan Singh
11	रमराम सिंह SIO जयपाल सिंह	Ramram Singh
12	सुनील सिंह SIO दर्शन सिंह	Sunil Singh
13	जयपाल सिंह SIO भोम सिंह	Jaypal Singh
14	जग मोहन सिंह SIO रतन सिंह	Jag Mohan Singh
15	नरेन्द्र सिंह SIO करण सिंह	Narendra Singh
16	पूरण सिंह SIO जयपाल सिंह	Purana Singh
17	दिनेश सिंह SIO बचन सिंह	Dinesh Singh
18	कमल सिंह SIO विष्णु सिंह	Kamal Singh


 विष्णु गणवाल
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बनाली (चम्या)
 टिहरीगढवाल

ग्राम प्रधान

